राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 884–पीबीआर/15 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–5–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । मूल अपील प्रकरण कमांक अपील 941–पीबीआर/03 को देखने से स्पष्ट है कि उक्त अपील दिनांक 13.10.2010 को अदम पैरवी में निरस्त हुई है, जिसके पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.4.2015 को लगभग साढ़े चार वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में आवेदक विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक को दिनांक 13.9.2010 की पेशी इन्दौर केम्प पर दी गई थी, उक्त पेशी पर न तो सर्किट कोर्ट आया और न ही आगामी पेशी की कोई सूचना ही दी गई । दिनांक 31.3.2015 को जब आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रवाचक से सम्पर्क किया गया, तब दिनांक 13.10.2010 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त होने की जानकारी हुई । आवेदक द्वारा दिनांक 31.3.2015 को ही नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 1.4.2015 को नकल प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होते ही आवेदक की ओर से अविलम्ब पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि विलम्ब सदभाविक होने से क्षमा किया जाये ।	

2/ आवेदक की ओर से लगभग साढ़े चार वर्ष से भी अधिक समय तक अपने प्रकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया है और दिनांक 1.4.2015 को नकल प्राप्त होने के पश्चात् भी दिनांक 16.4.2015 को 15 दिवस प्रश्चात् पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । जबकि पूर्व में अत्यधिक विलम्ब हो चुका था, तब आवेदक का दायित्व था कि वह नकल प्राप्त होते अविलम्ब आवेदन पत्र प्रस्तुत करते । उक्त कार्यवाही नहीं करना घोर लापरवाही का द्योतक है । इस सम्बन्ध में 1992 आर0एन0 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा 5– विलम्ब–सद्भाविक–अर्थ– कार्यैवाही में अनुपस्थित तथा अपने काउन्सेल से सम्पर्क करने का कभी प्रयासन नहीं किया अथवा मामले के भाग्य के विषय में जांच करने का कोई कदम नहीं उठाया– पक्षकारों का यह आचरण उनकी ओर से गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है– इसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में विलम्ब सद्भाविक नहीं होने से क्षमा नहीं किया जा सकता है । फलस्वरूप यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र अत्यधिक अवधि बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

इन्द्राज 884-PBR-15

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय मे

अपील प्रकरण क्रमांक 941–पी.बी.आर./03

सुरेश कुमार पिता कस्तुरचंद जी जैन
पता– 50 पीपली बाजार इंदौर
वर्तमानम पता– 25/2, मनोरमागंज इंदौर —–प्रार्थी/अपीलाण्ट

विरुद्ध

1– म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर
2– मे. मालवा इकानामिक डेव्हलपमेंट सोसायटी तर्फे ए.आर.मोजेस, पता–85, इंडस्ट्रीज एस्टेट इंदौर। ——— प्रत्यर्थीगण

पी.जो.५१८७

आवेदन पत्र प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने बाबद